**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 25/2022 (उदयपुर आर्डर)**

1. नारायणलाल पिता उदयलाल जी पालीवाल, जाति ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. सुआलाल पिता उदयलाल जी पालीवाल, जाति ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. लक्ष्मीलाल पिता उदयलाल जी पालीवाल, जाति ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. गणेशलाल पिता हीरालाल जी पालीवाल, जाति ब्राहमण, निवासी चाटिया खेड़ी, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दिनांक 14.11.2022 प्रकरण संख्या 78/2020

———::———

उपस्थित :– 1– श्री कुन्दनसिंह सोनी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री दुर्गासिंह शक्तावत अभिभाषक रेस्पो. सं. 1
3– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 23–11–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी की कृषि खाता संख्या 167 की जमाबंदी नंबर 729 रकबा 0.0100 हैक्टर कुल किता 1 रकबा 0.0100 हैक्टर एवं खाता संख्या 161 की आसजी नंबर 292 रकबा 0.0250

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर, आराजी नंबर 920 रकबा 0.1950 हैक्टर एवं आराजी नंबर 1892/941 रकबा 0.0050 हैक्टर कुल किता 3 रकबा 0.2250 हैक्टर भूमि ग्राम चाटिया खेड़ी में स्थित है। खाता संख्या 167 में प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 3/5 हिस्सा है एवं खाता संख्या 161 में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। दिनांक 10–08–2020 को विपक्षी संख्या 1 मौके पर बाउण्ड्रीवाल बनाने लगा तथा मना करने पर गाली–गलौज करने लगा, जबकि पक्षकारों के मध्य अभी विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है। अतः मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 28–07–2022 को उभयपक्षों को आगामी तारीख पेशी दिनांक 08–08–2020 तक मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये तथा पत्रावली वास्ते जवाब नियत की। दिनांक 10–11–2022 को विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। साथ ही प्रतिदावा प्रस्तुत कर उसके साथ प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा पर आपत्ति प्रकट करते हुए प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

विपक्षी संख्या 1 के जवाब एवं प्रति प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों को बहस सुनकर अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14–11–2022 से पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28–07–2022 को आगे जारी नहीं रखने बाबत् आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–11–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री दुर्गासिंह शक्तावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि अपीलान्टगण एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है तथा कानूनन सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक ईंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। ऐसी स्थिति में बिना विधिवत विभाजन कराये रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 [illegible] आराजियात पर बाउण्ड्रीवाल बनाना चाहता है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested

जिससे उसे रोका जाना आवश्यक है। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के पश्चात् दिनांक 28–07–2022 को अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जो विधि सम्मत था, किन्तु आदेश दिनांक 14–11–2022 से उक्त अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर रोक लगाने का जो आदेश पारित किया है उससे पक्षकारों के मध्य और विवाद बढेंगा तथा अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावे का कोई औचित्य ही नहीं रह जायेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14–11–2022 अपास्त किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षी संख्या 1 को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि आदेश 39 नियम 1, 2 के तहत प्रदत्त आदेशों के विरूद्ध ही आदेश 43 नियम 1 (r) के तहत अपील पोषणीय है। हस्तगत प्रकरण में आदेश 39 नियम 3 व 4 के तहत एकपक्षीय स्थगन आदेश को अपास्त (Vacate) किया गया है, जिसके विरूद्ध अपील आदेश 43 नियम 1 (r) व धारा 104 सी.पी.सी. के तहत मेन्टेनेबल नहीं है। अतः अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में 2010 (2) Page 854 Uttarakhand High Court द्वारा Rajneesh Singh Bahrtari v/s Surya Pal Bhandari में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28–07–2022 को उभयपक्षों को सुनकर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को आगामी पेशी दिनांक 08–08–2022 तक के लिए पाबन्द किया, किन्तु दिनांक 10–11–2022 को विपक्षी द्वारा जवाब एवं प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपने आदेश दिनांक 14–11–2022 से पूर्व जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28–07–2022 को आगे जारी नहीं रखने बाबत् आदेश पारित कर दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट स्थिति हैं कि विवादित आराजियात पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि होकर दोनों पक्षों के मध्य काफी विवाद है एवं इस बाबत् दोनों ही पक्षों ने अपने–अपने पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–07–2022 को दोनों पक्षों को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जो अन्तरित अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी थी, वह विधि सम्मत प्रतीत होती है। क्योंकि दौराने दावा यदि मौके की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो पक्षकारों के मध्य और अधिक विवाद बढ़ने की संभावना है तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण के मूल दावे का कोई औचित्य नहीं रह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested

जायेगा। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14–11–2022 को त्रुटि पूर्ण पाते हैं तथा मूलदावे के निस्तारण तक मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 14–11–2022 अपास्त किया जाता है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम निषेधाज्ञा दिनांक 28–07–2022 को मूल वाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(प्रदीप सिंह सांगावत)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:04:08 IST
Reason: SelfAttested